प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –294 / 2023
अनवान : –

1. महिराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. कानाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पालाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— प्रतिवादीगण

4. बेगराज पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— तरतीवी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 12.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60/56 की कुल 23.1050 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात By Birth Right हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई इसलिए उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी के भाई है उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवाद संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को [illegible] हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन त[illegible] आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है [illegible] का वाद डिक्री [illegible]

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा[illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स0 1, 2 व 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested

इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन क़िया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1, 2 व 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60/56 की कुल 23.1050 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1, 2 व 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ,2 व 4के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60/56 की कुल 23.1050 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मेघाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –294 / 2023

अनवान : –

1. महिराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. कानाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पालाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– **प्रतिवादीगण**

4. बेगराज पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–– **तरतीवी प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 294 सन 2023 निर्णय दिनांक 12.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 60 / 56 की कुल 23.1050 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मेघाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:18:35 IST
Reason: SelfAttested